(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष
आर0के0मिश्रा
सदस्य

प्रकरण कमांक R-1577/II/14–1● विरूद्ध अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0 दिनांक 05.03.2014 प्रकरण कमांक 1178/अपील/10–11

1– लल्ली पत्नी जगदीश प्रसाद उम्र 60 वर्ष
2– सत्यनारायण तनय जगदीश प्रसाद उम्र 45 वर्ष
दोनो निवासी ग्राम बरदैला, तह0 रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

————————आवेदक

विरूद्ध

1– जनार्दन प्रसाद तनय बुद्धसेन राम ब्रा0
2– रामावतार तनय बुद्धसेन राम ब्रा0
3– कमलेश्वर प्रसाद तनय बुद्धसेन राम ब्रा0
4– राम प्रसाद तनय बुद्धसेन राम ब्रा0
सभी निवासी ग्राम बरदैला, तह0 रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0

————————अनावेदकगण

(निगरानीकर्ता द्वारा श्री गंगा प्रसाद तिवारी एड0)
(अनावेदकगण द्वारा श्री शिवप्रसाद द्विवेदी एड़0)

::आदेश::

(आज दिनांक 31/8/18 को पारित)

इस न्यायालय में लल्ली पत्नी जगदीश प्रसाद वगै0 ने अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण कमांक 1178/अपील/10–11 मे पारित आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन दायर की गई है।

2— संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0 के न्यायालय में निगरानीकर्तागणों ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम बरदैला तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी म0प्र0 स्थित भूमियॉ खसरा न0 86, 107, 109, 250, 421, 285, कुल रकवा 3.91ए. के भूमिस्वामी बुद्धसेन ब्रा0 है। यह भी बिन्दु वर्णित किया गया कि, दिनांक 27.05.1982 के पूर्व उक्त भूमि के भूमिस्वामी जगदीश प्रसाद थे।, यह भी बिन्दु वर्णित किया गया था कि उक्त भूमियो का नामांतरण, पंजी कमांक 4 के आदेश दिनांक 27.03.1989 द्वारा राजस्व निरीक्षक ने कर दिया था, जो अपील प्रकरण क्र 4/अपील/1985—86 आदेश दिनांक 27.03.1989 द्वारा निरस्त किया गया, वह प्रकरण रिमाण्ड किया गया था, तदानुसार पुनः कार्यवाही की जाय।

3— अनावेदक ने जबाव व उसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किया साथ ही यह आधार दर्शाया कि, अपील प्रकरण कमांक 4/अपील/1985—86 के आदेश दिनांक 27.03.89 के पालन में मामला सहायक बंदोबस्त अधिकारी को सुनवाई व निराकरण हेतु प्रेषित किया गया, क्योकि इसी दरम्यिान बंदोबस्त की कार्यवाही हुई, जिसमें बिना सुनवाई जॉच व साक्ष्य अनुसार दिनांक 06.02.1996 को निर्णय हुआ, जबकि दिनांक 16.11.72 के बटवारा पुल्ली अनुसार अनावेदक की भूमि मान्य की गई थी। संबंधित भूमि अनावेदक के स्वत्व आधिपत्य की थी व है, तदानुसार अनावेदक के नाम इन्द्राज भी है। उपरोक्तानुसार आवेदन दिनांक 31.07.2010 को खारिज किया गया, कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी दल कमांक 2 सीधी के प्रकरण कमांक 93अ—74/95—96 के आदेश दिनांक 06.02.1996 के अनुसार लल्ली बेबा जगदीश प्रसाद व सत्यनारायण पिता जगदीश प्रसाद का नाम दर्ज है।

4— उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के न्यायालय में अपील दायर की गई, जो दिनांक 10.06.2011 को निरस्त की गई, जिसे द्वितीय अपील दायर करके चुनौती दी गई, अपर कमिश्नर ने उभयपक्षो की सुनवाई उपरांत

दिनांक 05.03.2014 को अंतिम आदेश पारित करते हुए, दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश निरस्त किया, जिसके विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में दायर की गई है।

5— निगरानी का प्रमुख आधार यह है कि संबंधित भूमि निगरानीकर्ता के स्वत्व की है, अनावेदक का कोई भी हित व अधिकार नही हैं यह भी बिन्दु उठाया गया कि, तहसील न्यायालय में जो दिनांक 16.11.1972 के बटवारा अनुसार इन्द्राज करने की अनावेदक की आपत्ति, औचित्यहीन थी, अपर कमिश्नर ने जो अनावेदक की अपील स्वीकार करके अनुविभागीय अधिकारी क आदेश निरस्त किया, उसमें त्रुटि होना दर्शाया गया। निगरीनकर्ता की तरफ से तर्क में भी उक्त बिन्दु उठाये गये।

6— अनावेदक की तरफ से तर्क में बताया गया कि, अपर कमिश्नर ने सभी बिन्दुओ पर विस्तार से विवेचना किया, संबंधित भूमि अनावेदक के हिस्से व कब्जे की थी तदानुसार अनावेदक की अपील स्वीकार करके जो अपर कमिश्नर से निर्णय किया उसमें हस्ताक्षेप का कोई भी सारवान आधार नही है। साथ ही यह भी दर्शाया कि, स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए निगरानीकर्ता ने व्यवहार वाद दिनांक 22.09.1998 को दायर किया था, जो दिनांक 20.06.2000 को निरस्त हुआ उसके पुर्नस्थापन का मुकदमा लगाया गया था वह भी निरस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी स्वत्व निगरानीकर्ता समझते हैं, तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय मे निराकृत कराना चाहिए। निगरानी में तो अपर कमिश्नर के आदेश में क्या अवैधानिकता या अनियमितता है, केवल इतना ही बिन्दु निराकृत होगा। तदानुसार निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

7— अधीनस्थ न्यायालयो के प्रकरण का अवलोकन किया। उभयपक्षो के अधिवक्ताओ के तर्क सुने गये। अपर कमिश्नर ने यह निर्धारित किया कि, पारिवारिक बटवारा में उक्त भूमियॉ अनावेदक के कब्जे की होने का जो निष्कर्ष है उसके विपरीत कोई भी बिन्दु निगरानीकर्ता ने स्पष्ट नही किया, साथ ही जब उक्त भूमियो के बावत् निगरानीकर्ता ने स्वत्व घोषणा के

अनुतोष के लिए दावा लगाया और निगरानीकर्ता का दीवानी दावा निरस्त हुआ। उक्त भूमि उनके स्वत्व की मान्य नही की गई तो उसके विपरीत राजस्व न्यायालय के द्वारा कोई विवादित एवं स्वत्व के संबंध में विनिश्चियन नही हो सकता। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रकरण में नये सिरे से कोई अन्यथा निर्णय नही हो सकता। इस तरह अपर कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध दायर निगरानी का कोई भी औचित्य नही है।

8— जहॉ तक अपर कमिश्नर के आदेश में दी गई उपपत्ति का प्रश्न है। निगरानी में ऐसा कोई आधार वर्णित नही है, कि उसमे क्या त्रुटि है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने यह बताया कि, दीवानी न्यायालय से अंतिम निर्णय नही हुआ है, इस कारण कोई गुणदोष का निर्णय नही हो सकता। मै उक्त तर्क से सहमत हूॅ, *किन्तु बिन्दु यह विवादित है, कि जब एक बार स्वत्व घोषणा का दावा किया गया, और निगरानीकर्ता ने स्वयं अपना स्वत्व विवादित मान करके घोषणात्मक अनुतोष हेतु दीवानी न्यायालय में प्रार्थना किया तो विधिक तौर पर दीवानी न्यायालय से जब तक घोषणा नही होती तब तक राजस्व अभिलेखो के प्रविष्टियो को चुनौती देने का औचित्य नही है।*

अतःउपरोक्त सभी कारणो से निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश के प्रति के साथ वापस हो।

31/8/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
म0प्र0 राजस्व, मण्डल